प्रेस विज्ञप्ति–29–08–2020

25 हजार रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार–थाना स्वार

दिनांक 13–11–2019 को वादी श्री मौ0 समीर पुत्र स्व0 श्री मौ0 ताहिर नि0 वार्ड नं0–07 मसवासी थाना स्वार जनपद–रामपुर द्वारा थाना स्वार पर आकर तहरीरी सूचना दी कि 1–जमील 2–अनीस 3–हनीफ पुत्रगण कलुआ 4–अफजाल पुत्र असगर अली नि0गण वार्ड नं0–07 मसवासी थाना स्वार जनपद–रामपुर द्वारा उसकी दुकान में घुसकर उसके पिता मौ0 ताहिर के सिर पर जान से मारने की नियत से लोहे की राड़ से वार कर घायल कर दिया गया था, जिसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी तथा वादी के साथ भी गाली गलौच व मारपीट की गयी थी। इस सम्बधं में थाना स्वार पर मु0अ0सं0–815/19 धारा 452,302,323,504 भादवि बनाम जमील आदि 04 नफर पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियोग से सम्बंन्धित पूर्व में तीन अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा इनामियॉ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अरूण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी स्वार, रामपुर के नेतृत्व में आज दिनांक 29–08–2020 को थाना स्वार, रामपुर पुलिस द्वारा जमील पुत्र कलुआ निवासी वार्ड नम्बर–7 कस्बा मसवासी थाना स्वार, रामपुर को खुशहालपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना स्वार, रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–815/19 धारा 452,302,323,504 भादवि में दिनांक 13–11–2019 से लगातार फरार चल रहा था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा अभियुक्त जमील उपरोक्त पर 25 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था।

इसके अतिरिक्त गिरफ्तार इनामी अभियुक्त थाना स्वार, रामपुर पर पंजीकृत दो अन्य अभियोग मु0अ0सं0–848/19 धारा 506 भादवि व मु0अ0सं0–321/20 धारा 174ए भादवि में भी वॉछित चल रहा था।

इनामी गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

जमील पुत्र कलुआ निवासी वार्ड नम्बर–7 कस्बा मसवासी थाना स्वार, रामपुर।

कार्यवाही –

01–मु0अ0सं0–815৷19 धारा 452৷302৷323৷504 भादवि

02–मु0अ0सं0–848৷19 धारा 506 भादवि

03–मु0अ0सं0–321৷20 धारा 174ए भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

01–श्री रूम सिंह बघेल प्रभारी निरीक्षक थाना स्वार, रामपुर।

02–उ0नि0 श्री नेरेन्द्र कुमार,

03–हेड कां0 221 अनिल,

04–कां0 1363 हरपाल भाटी,

05–कां0 927 अंकित,

06–कां0 505 रमेश,

07–कां0 297 अनिल कुमार,

25 हजार रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार-थाना स्वार-

प्रेस नोट जनपद रामपुर दिनांक 29.08.2020

टॉप–10 अपराधी 02 अद्द नाजायज तमंचों के साथ गिरफ्तार–थाना भोट

श्रीमान पुलिस अधीक्षक रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 29–08–2020 को अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अरूण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी केमरी के कुशल नेतृत्व में थाना भोट, रामपुर पुलिस द्वारा **टॉप–10 अपराधी** असलम को थूनापुर अलिशबाह एकेडमी के सामने से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 02 अद्द नाजायज तमंचे 315 बोर मय 05 कारतूस जिंदा 315 बोर बरामद हुए।

गिरफ्तार टॉप–10 अपराधी का नाम व पता–

असलम पुत्र हजूर आलम निवासी ग्राम धनुपुरा थाना भोट, रामपुर।

बरामदगी–

अभियुक्त असलम के कब्जे से 02 अद्द नाजायज तमंचे 315 बोर मय 05 कारतूस जिंदा 315 बोर बरामद हुए।

टॉप–10 अपराधी असलम का आपराधिक इतिहास–

01– मु0अ0सं0–205/07 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना भोट, रामपुर।
02– मु0अ0सं0–50ए/08 धारा 147,148,149,307,504,506 भादवि थाना भोट, रामपुर।
03– मु0अ0सं0–242/13 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना भोट, रामपुर।
04– मु0अ0सं0–259/13 धारा 147,148,149,323,324 भादवि थाना भोट, रामपुर।
05– मु0अ0सं0–384/17 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना भोट, रामपुर।
06– मु0अ0सं0–206/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोट, रामपुर।

कार्यवाही–

मु0अ0सं0–91/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

01– श्री योगेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष थाना भोट, रामपुर।

02– उ0नि0 श्री राम सुन्दर यादव,

03– का0 40 इरशाद,

04– का0 1146 मौ0 अन्जार,

थाना भोट :–टॉप–10 अपराधी 02 अद्द नाजायज तमंचों के साथ गिरफ्तार।

प्रेस नोट जनपद रामपुर दिनांक 29.08.20

थाना शाहबाद :– कुकर्म का आरोपी गिरफ्तार–

दिनांक 28–08–2020 को थाना शाहबाद क्षेत्र में 05 वर्षीय एक लडके के साथ कुकर्म किये जाने के सम्बन्ध में थाना शाहबाद, रामपुर पर मु0अ0सं0–376/20 धारा 377,506 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 29–08–2020 को थाना शाहबाद पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में प्रकाश में आया अभियुक्त अकरम पुत्र नन्नू मनिहार निवासी ढकिया थाना शाहबाद, रामपुर को रामपुर चौराहा कस्बा शाहबाद से गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है।

थाना शाहबाद :– कुकर्म का आरोपी गिरफ्तार।

थाना टांडा:– 01 अद्द नाजायज तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 29–08–2020 को थाना टांडा, रामपुर पुलिस द्वारा राकेश कुमार पुत्र राम गोपाल निवासी सैदनगर थाना टांडा, रामपुर को लालपुर कोसी नदी के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अद्द नाजायज तमंचा 12 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में थाना टांडा पर मु0अ0सं0–231/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना सिविल लाइन :–50 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 28–08–2020 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा लाजपत पुत्र रामकुंवर निवासी रायपुर थाना सिविल लाइन, रामपुर को अजीतपुर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 50 लीटर नाजायज शराबखाम बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना टांडा :–35 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार–

दिनांक 28–08–2020 को थाना टांडा, रामपुर पुलिस द्वारा प्रानपुर के पास से रतनलाल पुत्र मनफूल निवासी सरकडी थाना टाण्डा, रामपुर को 20 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ तथा नेपाल उर्फ कलुआ पुत्र रघुवीर निवासी सरकडी थाना टाण्डा, रामपुर को 15 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना टांडा पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।